


कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जमुई के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु **FRA 2006** का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2017 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या..... 837 दिनांक 07-07-18.....

प्रमाणित किया जाता है कि जमुई जिले के प्रयोक्ता एजेंसी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जमुई द्वारा **SH-82** पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान लछुआर से जमुई-गरही-रूपावेल-कौआकोल (**SH-82**) तक कुल किलोमीटर **25.05** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **5.795** हे० रकबा के अपयोजन (Diversions) हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक **892** दिनांक **22.06.2018** द्वारा **FRA 2006** प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के अनुशंसा एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में **FRA 2006** निर्गत किया जाता है। ज्ञातव्य है कि परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान-
तिथि-


जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मोहर